



## राष्ट्रीय प्रतिरक्षाविज्ञान संस्थान नई दिल्ली

प्रशा.सं(विविध)/6.1.0

जनवरी, 2020

### कार्यालय आदेश

जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र संख्या बीटी/ए.10/मंत्रालय/पीआरसी/2019-प्रशा. के दिनांक 25.11.2019 में निहित निर्देशों के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पीयर समीक्षा समिति (पीआरसी) स्थापित करने के लिए, में निम्नलिखित शामिल किए गए हैं :-

- |  |         |
|--|---------|
| I. डॉ. आर.पी.राय, स्टाफ वैज्ञानिक- VII             | अध्यक्ष |
| II. डॉ. देबासिस मोहंती, स्टाफ वैज्ञानिक- VII       | सदस्य   |
| III. डॉ. मोनिका सूंड, स्टाफ वैज्ञानिक- VI          | सदस्य   |
| IV. ले.कनर्नल (डॉ.) डी.के.वशिष्ट, वरिष्ठ प्रबंधक   | सदस्य   |
| V. श्री पी.एस.रावत, वित्त एवं लेखा अधिकारी         | सदस्य   |
| VI. श्री प्रदीप चावला, प्रशासन अधिकारी(प्रशा.-III) | सदस्य   |

### 2. पीआरसी की संदर्भ शर्तें नीचे दी गई हैं:-

- क. संस्थान के सभी वैज्ञानिक/अधिकारी की विदेशी प्रतिनियुक्ति प्रस्ताव निदेशक को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पूर्व जांच करने की संस्तुति की जाती है।
  - ख. पीआरसी संबंधित वैज्ञानिक/अधिकारी को इससे पहले प्रस्तुति देने के लिए कह सकता है। प्रस्तुतिकरण के आधार पर, पीआरसी इसमें शामिल मुद्दों पर विचार-विमर्श कर सकता है और निदेशक, एनआईआई को यात्रा की सिफारिश कर सकता है।
  - क. वैज्ञानिक/अधिकारी की यात्रा पूरी करने के बाद वह बैठक/संमेलन/सम्मेलन/व्याख्यान में भाग लेने के लाभों पर प्रकाश डालते हुए अपने यात्रा रिपोर्ट पीसी को प्रस्तुत करेगा।
  - ख. पीआरसी जैवप्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार किए गए दो प्रारूपों के आधार पर, विदेशी यात्रा के मामलों की जांच करने के लिए अपने स्वयं के प्रारूप को तैयार कर सकता है (प्रतियां संलग्न हैं)।
3. वैज्ञानिकों/अधिकारियों की विदेशी प्रतिनियुक्ति प्रस्तावों के ऐसे मामलों जो एक कैलेंडर वर्ष के दौरान चार विदेशी यात्रा कर चुका/चुकी है या 5 दिनों से अधिक विदेशी यात्रा करने के दौरान ऐसे विदेशी उपक्रम के लिए जैवप्रौद्योगिकी विभाग को अग्रिम में 3 महीने के लिए निदेशक, राप्रस की सिफारिशों सहित प्रशासन-1, राप्रस को यात्रा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
  4. पीआरसी, राप्रस द्वारा विदेशी प्रतिनियुक्ति प्रस्ताव पर किया गया विचार अग्रिम में 2 महीने पहले प्रस्तुत किया जाए।

(ले.कनर्नल(डॉ.) डी.के.वशिष्ट)

वरिष्ठ प्रबंधक

### वितरण:-

1. पीआरसी के सभी सदस्य
2. सभी प्रयोगशाला प्रभारी/प्रमुख प्रभारी
3. निदेशक सचिवालय/ वरिष्ठ प्रबंधक अधिकारी
4. कंप्यूटर सेल से पीआरसी समिति में नाम जोड़ने के अनुरोध किया जाता है।
5. सूचना पट्ट



**NATIONAL INSTITUTE OF IMMUNOLOGY**  
**NEW DELHI**

15 JAN 2020  
15 January, 2020

No. Admn(Misc)/6.1.0/4345

**OFFICE ORDER**

In pursuance of the instructions of Department of Biotechnology contained in their letter No. BT/A.10/Minister/PRC/2019-Admn dated 25.11.2019, it has been decided with approval of the Competent Authority to setup a Peer Review Committee (PRC) comprising of the following:

- |      |   |             |
|------|---|-------------|
| i.   | Dr. R P Roy, Staff Scientist-VII                      | Chairperson |
| ii.  | Dr. Debasisa Mohanty, Staff Scientist-VII             | Member      |
| iii. | Dr. Monica Sundd, Staff Scientist-VI                  | Member      |
| iv.  | Lt. Col. (Dr.) D.K. Vashist, Senior Manager           | Member      |
| v.   | Sh. P. S. Rawat, Finance & Accounts Officer           | Member      |
| vi.  | Sh. Pradeep Chawla, Administrative Officer (Admn-III) | Member      |

2. The terms of reference of the PRC shall be as under:

- To examine/ recommend the foreign deputation proposals of all Scientists/ Officers of NII before they are finally submitted to the Director.
- The PRC may ask the concerned Scientist/ Officer to make a presentation before it. On the basis of the presentation so made, the PRC may deliberate on the issues involved and recommend the visit to the Director, NII.
- After the visit of a Scientist/ Officer is over he/she would submit his/her tour report to the PC highlighting the benefits of attending the meeting/ seminar/ conference/ lecture.
- The PRC may chalk out/ devise its own format for screening of the cases of foreign visits, based on the two formats devised by DBT, for its two PRCs (copies enclosed).

3. The cases of foreign deputation proposals of Scientists/ Officer who have already undertaken four foreign visits during a calendar year OR when the duration of foreign visit exceeds 5 days excluding travel time will be submitted, with the recommendations of the Director, NII, to DBT for undertaking such foreign visits, 3 months in advance to Admn-I, NII.

4. The foreign deputation proposals to be considered by NII PRC should be submitted 2 months in advance in Admn-I.

  
(Lt. Col. (Dr.) D.K. Vashist)  
Senior Manager

**Distribution:**

- All the members of the PRC
- All Lab In-charges/ Divisional Heads
- Director's Secretariat/ SM officer
- Computer Cell with the request to upload this OM on the website of Institute.
- Notice Board (s)